झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 19.12.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	**सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0**	हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड में पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना में एनटीपीसी कंपनी प्रबंधन द्वारा वर्ष– 2016 को आधार मानकर 18 वर्ष से ऊपर के विस्थापित ग्रामीणों को मुआवजा एवं अन्य लाभ दिया जा रहा है जबकि कंपनी द्वारा खनन कार्य उसके वर्षो बाद शुरू किया गया। इस प्रकार वर्ष 2016 में जिनकी आयु 18 वर्ष से कम थी उन्हें मुआवजा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2016 के बाद माता–पिता की मृत्यु हो जाने पर उनके वंशज वर्त्तमान में विस्थापन, मुआवजा एवं अन्य लाभ से वंचित हो जा रहे है। कंपनी द्वारा खनन कार्य वर्ष 2016 में शुरू न करके वर्षो के बाद शुरू किया गया, ऐसे में वर्ष 2016 को आधार मानना कतई न्याय संगत नहीं है। अतः मैं हजारीबाग जिला अंतर्गत पंकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना से विस्थापित रैयतों को कंपनी द्वारा खनन कार्य शुरू करने वाले वर्ष को आधार मानते हुए विस्थापन, मुआवजा एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट कराना चाहती हूँ।	**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार**

01.	02.	03.	04.
02–	श्री नारायण दास स0वि0स0	"पिछले दो वर्षो से राज्य में खरीफ के मौसम में बारिश नहीं होने के कारण कृषकों के समक्ष आर्थिक तथा विभिन्न प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो गई है। राज्य की 65 प्रतिशत से ज्यादा आबादी की निर्भरता होने के कारण यहाँ के 14 लाख से अधिक कृषकों ने फसल बीमा योजना के लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है। साथ ही राज्य के 200 से अधिक प्रखण्डों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया, परन्तु आदिनांक उन्हें किसी प्रकार की सहायता व मुआवजा प्राप्त नही हो पाई है। ज्ञात हो कि 14 लाख से अधिक किसानों में सबसे ज्यादा देवघर जिला से 2,73,984 किसानों ने फसल बीमा के लिए आवेदन दिया है। ध्यान देने योग्य बातें यह भी है कि कृषकों की फसल बोने के बाद बारिश नहीं होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई, जिस कारण कृषकों पर दोगुणा बोझा पड़ा है। साथ ही अबतक राज्य में धान क्रय करने की तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है। विभागीय शिथिलता के कारण कृषकों के समक्ष अन्यान्य कठिनाईयाँ हो रही है।" अतः सरकार से मांग करता हूँ कि दो वर्षो से खरीफ के मौसम में बारिश की कमी और उनके लगे फसलों को नष्ट हो जाना, इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार अविलम्ब राज्य के किसानों को फसल बीमा की राशि अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय जिस हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता
03–	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	झारखण्ड में **झारखण्ड राज्य कृषि** विपणन पर्षद द्वारा निर्मित **हाट बाजार एवं बाजार समिति परिसर** में पूर्व से निर्मित आधार भूत संरचनाऐं यथा–**रोड, गोदाम, दुकान, शौचालय, सड़क, पेयजल एवं बिजली** इत्यादि अति आवश्यक संरचना व्यवस्था अत्यन्त ही जर्जर एवं दयनीय स्थिति में होने के कारण कृषकों को **कृषि उत्पाद एवं वन उपज** इत्यादि सामग्रियों की बिक्री करने में **काफी परेशानी** होती है।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता

01.	02.	03.	04.
		साथ ही इनके उत्पादों का **ससमय उचित मूल्य** भी नहीं मिल पा रहा है। इस कारण कृषकों की **आर्थिक स्थिति** बद से बदतर हो गयी है। अतएव मैं राज्य के कृषकों के कृषि उत्पाद एवं वन उपज के संग्रहण एवं बिक्री हेतु उपरोक्त वर्णित आवश्यक **आधारभूत संसाधनों का निर्माण** कराने की **ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।**	
04-	**डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0** **श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0** **श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0**	जामताड़ा के मिहिजाम कानगोई में बंगाल झारखण्ड की सीमा पर अंजनी फेरो अलोयस फैक्ट्री से निकलने वाले धुंए के साथ ही वाहनों का काला धुंआ जनता की सेहत बिगाड़ रहा है। वायु प्रदूषण पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है, लेकिन नियंत्रण के लिए बनाए गए विभाग मौन है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास कागजों तक ही सिमट कर रह गए है। फाइलों में प्रदूषण के स्तर की रिपोर्ट तैयार कर बंद कर दी जाती है। धरातल पर प्रदूषण रोकने के प्रयास किसी को दिखाई नहीं देते। फैक्ट्री हो या फिर वाहनों से निकलने वाला धुंआ लगातार बेलगाम होता जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभागीय कार्रवाई मात्र नौकरी बचाने तक सिमट कर रह गई है, जिससे पूरे क्षेत्र की हवा भी लगातार जहरीली होती जा रही है। यह पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर विषय है और मैं इस पूरे मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि ताकि फैक्ट्री पर लगाम लगाया जा सके। प्रदूषण पर नियंत्रण जरुरी है। बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रदूषण परिवहन विभाग के साथ संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी कर इसके लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई कराया जाय। अतः उक्त के आलोक में मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इन बिंदुओं पर वक्तव्य की मांग करता हूँ।	**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन**

01.	02.	03.	04.
05–	श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0 डॉ0 नीरा यादव स0वि0स0 डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता स0वि0स0	"साहेबगंज जिला के राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज सदर, राजमहल एवं उधवा में बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि का गलत तरीके से बन्दोवस्ती की जा रही है, जिसमें कैसर-ए-हिन्द, गैर मजरूआ आम व खास, गोचर, वन भूमि, नदी तटीय क्षेत्र, धार्मिक न्यास भूमि और रेलवे की परिसम्पत्तियाँ शामिल है। साथ ही इन प्रखण्डों में से ज्यादातर राजमहल एवं उधवा में धड़ल्ले से अवैधानिक रूप से सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती जारी है। इन क्षेत्रों के जमीन के भू-अभिलेखों और संबंधित विभागीय कार्यालयों में बिचौलियों की मिलीभगत से यह अवैधानिक कार्य होते आ रहे है, जिससे राज्य की स्थायी सम्पति का बंदरबाट और विकासात्मक कार्य में भी कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही है इन तथ्यों के उच्चस्तरीय जाँच करायी जानी चाहिए और इसमें संलिप्त लोगों को चिन्हित कर विधि-सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि राजकीय सम्पति का ससमय विकासात्मक कार्य योजना व क्रियान्वयन के समय आवश्यकता की पूर्ति हो सके।" अतः सदन के माध्यम से माँग करता हूँ कि उक्त तथ्यों पर अविलम्ब विचार करते हुए एक उच्चस्तरीय जाँच कर वैसे लोगों पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाय, जिस ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

राँची,
दिनांक– 19 दिसम्बर, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0–

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–66/2023–2447/वि0 स0, राँची, दिनांक– 18/12/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एवं सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2023

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–66/2023–2447/वि0 स0, राँची, दिनांक– 18/12/23

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

18/12/23

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–

18.12.2023